दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 25-07-2025

बिना नोटिस अस्पताल को सील करने पर याचिका

बिलासपुर | अस्पताल को बिना नोटिस व प्रक्रिया का पालन किए बगैर सील करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने राहत दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने अस्पताल को खोलने के आदेश दिए हैं। सरायपाली के मेट्रिकेयर हास्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर ने अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, बताया कि सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ और महासमुंद के सीएमएचओ ने 28 जून 2025 को सील कर दिया। कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई। आरोप लगाया गया था कि अस्पताल में गैरप्रशिक्षित डॉक्टर के ऑपरेशन की वजह से महिला को परेशानी हुई।